न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राज0)

(पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार ओला I.A.S.)

प्रकरण संख्या 07 / 2020

दायर दिनांक 24.06.2020

फैसला दिनांक 06-05-2021

श्री सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर जिला डूंगरपुर

प्रार्थी

बनाम

श्रीमती आशादेवी जैन पत्नी श्री अजीत जैन उचित मूल्य दुकानदार सेन्टर छापी–II ग्रा. प. छापी तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर

विपक्षी

उपस्थिति

1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी
2. श्री लक्ष्मीलाल जैन एडवोकेट – विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6ए (i) (ii)

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से विरूद्ध विपक्षी के इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी ने अपनी उचित मूल्य दुकान सेन्टर छापी–II में गोदाम एवं पिक अप वाहन जी जे 09 यू ए 1970 में स्टॉक से अधिक मात्रा में 23–48.42 क्विं गेहूं (47 कट्टे) चना दाल 89.22 किग्रा (2 कट्टे) पाये जाने मय पिकअप वाहन को जप्त सरकार कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(A) (i) (ii) के तहत राजसात करने हेतु पेश किया है।

प्रकरण का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि दिनांक 20.06.2020 को विपक्षी श्रीमति आशादेवी जैन उचित मूल्य दुकानदार छापी–II तहसील व ब्लॉक बिछीवाडा के पिकअप वाहन संख्या जी जे 09 यू ए 1970 को पुलिस द्वारा पकडे जाने की सूचना प्रार्थी को प्राप्त हाने पर जिला रसद अधिकारी के आदेश पर प्रवर्तन निरीक्षक निलेश कुमार, नायब तहसीलदार बिछीवाडा के साथ पुलिस थाना बिछीवाडा गये। थानाधिकारी बिछीवाडा द्वारा उक्त वाहन संदिग्ध अवस्था के कारण थाने में लाना बताया गया। सरपंच ग्राम पंचायत छापी एवं उपभोक्ताओं द्वारा उप खण्ड अधिकारी बिछीवाडा को अधिकृत विपक्षी डीलर के विरूद्ध राशन वितरण में अनियमितता करने की लिखित शिकायत पेश की गई थी। उक्त शिकायत के संबंध में जांच करने पर उक्त राशन सेन्टर की पोश मशीन संख्या 25193 के अनुसार 28.77 क्वि. गेहूं 51 किग्रा. दाल, 82 किग्रा. चना व 10.05 किग्रा. लेवी चीनी दर्ज पायी गई उचित मूल्य दूकान सेन्टर छापी–II के गोदाम एवं थाने में खडी पीक अप वाहन संख्या जी जे 09 यू ए 1970 में भरे राशन का भौतिक सत्यापन करने पर पोश मशीन संख्या 25193 में दर्ज सटॉक के [illegible] दाल 65.51 किग्रा चना 3.21 किग्रा अधिक पाये गये तथा लेवी चीनी 4.35 किग्रा [illegible] मुकाबले कम पाई गयी। मौके पर जांच दल द्वारा उक्त वाहन में भरा [illegible] गेहूं [illegible]42 क्विं चना दाल 89.22 किग्रा. मय वाहन को जप्त सरकार किया गया [illegible] श्री [illegible]लाल कल[illegible] पुत्र कृष्णकान्त कलाल छापी सेन्टर –I को सुपुर्द किया गया है। उचित मूल्य की [illegible] दूकानदार ने गोदाम को बाहर वितरण करने की अनियमितता की है तथा कर्फ्यूग्रस्त इलाको को छोडकर माह जून से अपनी उचित मूल्य दुकान पर सामाजिक दूरी बनाते हुए राशनधारियों को राशन वितरण करने के निर्देश थे किन्तु विपक्षी द्वारा किसी सक्षम अनुमति के बगैर स्वयं के स्तर पर वाहन द्वारा राशन वितरण कर गम्भीर अनियमितता की गई। विपक्षी डीलर द्वारा माह जून में

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2021.07.14 11:03:32 IST
Reason: SelfAttested

जून 2020 में होम डिलेवरी हेतु किसी प्रकार का वाहन उपलब्ध कराने हेतु विभाग को जानकारी नहीं दी गई जाने से भी अनियमितता कारित की गई है।

प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर ने प्रार्थना पत्र पेश कर अवगत कराया है कि जांच दल द्वारा पुलिस थाना बिछीवाडा में विपक्षी के उचित मूल्य दुकान सेन्टर छापी–II के पिक अप वाहन जी जे 09 यू ए 1970 के वाहन में रखे खाद्यान्न को संदिग्ध अवस्था में पाये जाने पर 23.4842 क्वि. गेहूं एवं 89.22 किग्रा. चना जप्त किया गया है किन्तु पोश मशीन की स्थिति अनुसार अधिक पाया गया गेहूं 2.8637 क्विं. एवं चना 65.51 किग्रा. को राजसात करने का निवेदन किया है।

अतः प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी की ओर से वकालतनामा एवं जवाब व दस्तावेज की छायाप्रतिया पेश की गई जो शामील पत्रावली की गई।

प्रकरण में विभागीय पेराकार एवं विपक्षी के विद्वान अभिभाषक की बहस समायात की गई। बहस में विभागीय पेरोकार ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुनरावृति की गई तथा विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने जवाब के तथ्यों को दोहराया गया।

विभागीय पेराकार ने बहस में बताया है कि विपक्षी उचित मूल्य दूकानदार केन्द्र छापी–II के पिकअप वाहन नम्बर जी जे 09 यू ए 1970 को बिछीवाडा द्वारा पकडे जाने पर जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर के निर्देश पर प्रार्थी एवं दल द्वारा उक्त वाहन में भरे राशन खाद्यान्न की जांच की गई जांच के दौरान उक्त सेन्टर के पोश मशीन में गेहूं के दर्ज स्टॉक 28.77 क्विं. गेहूं के मुकाबलें 2.8637 क्विं. गेहूं अधिक पाया, चना दाल 51 किग्रा. के मुकाबले 65 किग्रा. अधिक पाया तथा चना 82 किग्रा. के मुकाबले 3.21 किग्रा. अधिक पाया गया तथा लेवी चीनी 10.05 किग्रा. के तुलना में 4.35 किग्रा कम पाई गई। विपक्षी द्वारा बिना किसी विभागीय अनुमति के कारबार समय के अतिरिक्त अधिकृत गोदाम के बाहर खाद्यान्न वितरण करने की नियमों एवं आदेशों की अवहेलना की है। विभाग द्वारा कोरोना के समय कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों को छोडकर माह जून 2020 में उचित मूल्य की दूकान से सामाजिक दूरी बनाते हुए राशन वितरण करने के निर्देश दिये गये थे किन्तु विपक्षी ग्राम पंचायत छापी से वाहन प्राप्त नही कर विभागीय निर्देशों की पालना नहीं करते हुए खाद्यान्न का होम डिलेवरी वितरण करना नियमों के विरूद्ध है। पोश मशीन में दर्ज स्टॉक से गेहूं 2.8637 क्वि. एवं चना स्टॉक से 65.51 किग्रा. अधिक पाये गये है। विभागीय पेरोकार ने बहस में बताया कि प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर द्वारा प्रार्थना पत्र में वाहन संख्या जी जे 09 यू ए 1970 में रखी गई पुरा खाद्यान्न मेहूं 23.4842 क्वि. एवं चनादाल 89. 22 किग्रा सेहवन से राजसात करने की प्रार्थना की है जबकि पोश मशीन में दर्ज स्टॉक से 2.86 क्विं. गेहूं एवं चना 65.51 किग्रा मौके पर अधिक पाये जाने से उतना ही खाद्यान्न राजसात करने का अनुरोध किया। विपक्षी द्वारा बिना किसी विभागीय दिशा निर्देश के राशन खाद्यान को कोरोना कर्फ्यू क्षेत्र के बाहर होम डिलेवरी करना एवं पोश मशीन में दर्ज स्टॉक से अधिक पाये गये गेहूं 2.8637 क्विं. व चना 65.51 किग्रा. राजस्थान खाद्यान्न व अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की [illegible] की अवहेलना होने से जप्त शुदा गेहूं 2.8637 क्विं. एवं चना 65.51 किग्रा. को राजसात करने का विभागीय पेरोकार ने अनुरोध किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2021.07.14 11:03:32 IST
Reason: SelfAttested

वकील विपक्षी ने बहस में कथन किया कि विपक्षी उचित मूल्य दूकान छापी–II की अधिकृत डिलर है। वक्त जांच कोरोना का प्रकोप होने से विपक्षी द्वारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के आदेश की अनुपालना में राशनधरियों को खाद्यान्न निजी वाहन में भरकर उनके घरों तक उपलब्ध कराने की मंशा से क्षेत्र में गई थी। ग्रामीण क्षेत्र में इन्टरनेट की समस्या होने से इन्टरनेट उपलब्ध होने पर गांव/मोहल्ले के राशनधारियों के एक साथ पोश मशीन पर अगुष्ट कराने के उपरान्त तुरन्त ही उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया जाना विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने बताया। वक्त जांच भी इन्टरनेट की उपलब्धता के कारण विवेचित ग्राम के

राशनधारियों के एक साथ पोश मशीन पर अंगूष्टधारी उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरण करने से पूर्व ही वाहन संख्या जी जे 09 यू ए 1970 को पुलिस थाना बिछीवाडा ले गये जिससे पोश मशीन में दर्ज स्टॉक से खाद्यान्न अधिक पाया जाना स्वाभाविक होने विपक्षी विद्वान अभिभाषक ने बताया। मौके पर पोश मशीन में दर्ज अंगुष्टधारियों द्वारा भी खाद्यान्न जप्ती होने से राशन नहीं ले पाने बाबत शपथ पत्र पेश किये है। विपक्षी के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया कि विपक्षी डीलर द्वारा कोरोना संकमण के दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के दिशा निर्देश अनुसार डोर–टू–डोर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरण करने में कोई नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। पोश मशीन में दर्ज स्टॉक से अधिक 2.8637 क्विं. गेहूं एवं 65.51 किग्रा. चना राशनधारियों के इन्टरनेट समस्या के चलते एक साथ पोश मशीन में अंगुष्ट कराने से तथा खाद्यान्न वितरण करने से पूर्व ही पुलिस थाना बिछीवाडा द्वारा खाद्यान्न से भरे वाहन को थाना में ले जाने से अधिक पाया जाने में विपक्षी डीलर का कोई दोष नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज कर जप्त शुदा खाद्यान्न विपक्षी डीलर को सुपुर्द करने वकील विपक्षी से अनुरोध किया।

हमारे द्वारा पक्षकारों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि विपक्षी उचित मूल्य की दूकान छापी–II की अधिकृत डीलर है। पिवक्षी डीलर द्वारा दिनांक 20.06.2020 को स्वयं की व्यवस्था से वाहन संख्या G.J. 09 AU 1970 में खाद्यान्न भर कर फला बांटा बालगुन में घर–घर राशन खाद्यान्न वितरण किया जाना विपक्षी का यह कृत्य दुषित मानसिकता एवं अपनी मनमर्जी से ऐसा करना पाया गया। विपक्षी के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस में बताया जाना कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 28.03.2020 की पालना में विपक्षी डीलर द्वारा नियमानुसार घर–घर खाद्यान्न का वितरण किया है। उक्त तथ्य में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कोविड–19 के दौरान उक्त जांच के दौरान विपक्षी डीलर कनटेंन्टमेंट जोन में खाद्यान्न वितरण किया जा रहा था। इससे स्पष्ट है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना नहीं की है। विपक्षी डीलर को अपने केन्द्र पर ही कोविड–19 के दिशा–निर्देश अनुसार खाद्यान्न का वितरण नहीं कर नियमों/निर्देशों की अवहेलना की गई है। विपक्षी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि ग्रामीण क्ष्ज्ञेत्र में इन्टरनेट की समस्या होने से एक साथ राशनधारियों के पोश मशीन में अंगुष्ठ दर्ज कर देने एवं उन्हें खाद्यान्न वितरण करना शेष होने के कारण पोश मशीन में दर्ज स्टॉक के मुकाबला 2.8637 क्विं. गेहूं एवं 65.51 किग्रा चना अधिक पायी गई। विपक्षी का उक्त कृत्य भी विश्वसनीय नहीं है चूंकि जब एक साथ राशनधारियों के पोश मशीन में अंगुष्ठ दर्ज किये गये तब इन्टनेट सुविधा उपलब्ध थी तो नियमानुसार पोश मशीन में राशनधारियों के अंगुष्ठ दर्ज कर खाद्यान्न वितरण किया जाना चाहिए था। वक्त जांच विपक्षी की और से जिन राशनधारियों के पोश मशीन में अंगुष्ठ दर्ज कर दिये गये थे तथा खाद्यान्न दिया जाना शेष था तो मौके पर ही इन राशनधारियों को पेश किया जाना चाहिये था। विपक्षी द्वारा राशन का खाद्यान्न लेने से शेष रहे राशनधारी के दिनांक 24.06.2020 को शपथ पत्र तैयार कर प्रस्तुत करना इन पर दबाव में शपथ–पत्र तैयार कराना प्रतीत होता हैं। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी डीलर द्वारा बिना किसी सक्षम अनुमति के अचित मूल्य दूकान छापी–II का राशन आवंटित केन्द्र पर विभागीय नियमों/निर्देशों की अवहेलना कर दुषित मानसिकता से राशन खाद्यान्न की कालाबाजारी करना प्रतीत होता है। विभागीय पेराकार द्वारा प्रार्थना–पत्र में वाहन संख्या G.J. 09 AU 1970 में भरे हुए गेहूं 23.4842 क्विं. एवं चनादाल 89.22 किग्रा को मय वाहन राजसात करने का अंकन किया गया है किन्तु प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर द्वारा प्रार्थना पत्र पश कर पोश मशीन में दर्ज स्टॉक के मुकाबले अधिक पाया गया 2.8637 क्विं. गेहूं एवं 65.51 किग्रा. चना राजसात करने का अनुरोध किया है। विपक्षी डीलर द्वारा बिना सक्ष्ज्ञम अनुमति के अधिकृत दुकान के बाहर घर–घर खाद्यान्न वितरण करना एवं पोश मशीन में दर्ज स्टॉक से अधिक मात्रा में गेहूं 2.8637 क्विं. एवं चना 65.51

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2021.07.14 11:03:32 IST
Reason: SelfAttested

किग्रा. पाया जाना राजस्थान खाद्यान्न व अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन पाया जाने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जप्त शुदा गेहूं मेंसे 2.8637 क्विं. गेहूं एवं 65.51 क्विं. चना राजसात करने के आदेश दिये जाते है। जप्त शुदा शेष गेहूं एवं चना विपक्षी डीलर को वापस लौटाये जावे। जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर को आदेश दिये जाते है कि सुपुर्दकर्ता से 2.5637 क्विं. गेहूं एवं चनादाल 65.51 किग्रा. प्राप्त कर नजदीकी उचिररत मूल्य की दूकानदार के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम दर पर वितरण करा प्राप्त राशि को अन्य सक्षम न्यायालय के निर्णत अपने कार्यालय में अमानत के तौर पर जमा रखे जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर को भिजवा कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 06-05-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर (राजस्थान) डूंगरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2021.07.14 11:03:32 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर